

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ 27, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का तेरहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का 61 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) के अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार –

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान शहडोल एवं दमोह के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान छिन्दवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 50 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) कुंवर विजय शाह, सदस्य, उज्जैन जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत सहायक वार्डन की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, ग्वालियर स्थित राज्य महिला अकादमी द्वारा प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर खेल और युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत खुरसोड़ा, जरेरा, कोस्ते एवं पान्द्रीगंज की माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(2) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम घूरापुरवा से सलैया तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज स्थित शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ कराये जाने,

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम धौरा से छिरवाहा के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम लालाखेड़ी कुल्मी से सुन्दरसी बेरछा जोड़ तक मुख्य सड़क का निर्माण किये जाने,

(6) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम टिगरिया में नवीन शासकीय प्राथमिक शाला का निर्माण किये जाने,

- (7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पलासी में जामनेर नदी पर स्टापडेम बनाये जाने,
(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत शैलाखेड़ा घटामाली नदी पर जलाशय सिंचाई योजना का निर्माण कराये जाने,
(9) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम हाटा एवं पिपराही में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत किये जाने,
(10) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के अम्बेडकर वार्ड स्थित कनेरादेव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, भोपाल नगर में कोलार रोड स्थित शिल्पी गृह निर्माण कॉलोनी में मूलभूत सुविधायें पानी, बिजली, सड़क उपलब्ध कराये जाने,
(12) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना नगर की नई बस्ती में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कराये जाने,
(13) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत चरगवां (पुरानी) में रंगमंच की बाउण्ड्रीवाल एवं सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
(14) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत करनाखेड़ी से राकोदा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(15) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्वालटोली से रेलवे क्रासिंग तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(16) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के हटा स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास की मरम्मत कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**निर्धारित
समय**

5. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

2 घण्टे

- (1) मांग संख्या 11 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
मांग संख्या 15 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या 21 लोक सेवा प्रबंधन
मांग संख्या 32 जनसम्पर्क
मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
मांग संख्या 51 अध्यात्म
मांग संख्या 65 विमानन
मांग संख्या 70 प्रवासी भारतीय
मांग संख्या 72 आनंद.

2 घण्टे

- (2) मांग संख्या 23 जल संसाधन
मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

2 घण्टे

- (3) मांग संख्या 3 पुलिस
मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या 5 जेल.

1 घण्टा

- (4) मांग संख्या 7 वाणिज्यिक कर.

1 घण्टा
30 मि.

- (5) मांग संख्या 25 खनिज साधन.

1 घण्टा

- (6) मांग संख्या 14 पशुपालन
मांग संख्या 16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास.

**भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2019**

**ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.**